सं.4/34/2017-P&PW-(D)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक 19 जुलाई, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी जी एच एस) के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में न रहने वाले केंद्र सरकार के पेंशनभागियों को निश्चित चिकित्सा भत्ता दिया जाना ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में निश्चित चिकित्सा भत्ता (एफएमए), केंद्र सरकार के उन पेंशनभोगियों/ कुटुंब पेंशनभोगियों के दिन-प्रतिदिन के ऐसे चिकित्सा व्यय को पूरा करने के लिए, जिसमें उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती, प्रदान किया जाता है जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा संचालित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना तथा अन्य मंत्रालयों/ विभागों द्वारा संचालित सदृश स्वास्थ्य योजना के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में नहीं रहते हैं । इस विभाग के दिनांक 19.11.2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/25/2008- P&PW-(D) के तहत निश्चित चिकित्सा भत्ते की राशि दिनांक 19.11.2014 से 300 रूपए से बढ़ाकर 500 रूपए प्रतिमाह करने के आदेश जारी किए गए थे ।

2. सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की भत्तों संबंधी सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए फैसले के परिणामस्वरूप, निश्चित चिकित्सा भत्ते की राशि 500 रूपए से बढ़ाकर 1000 रूपए प्रतिमाह करने को राष्ट्रपति की मंजूरी एतद्वारा सूचित की जाती है । निश्चित चिकित्सा भत्ता दिए जाने की अन्य शर्तें इस विभाग के दिनांक 19.12.97, 24.8.98, 30.12.98 तथा 18.8.99 के कार्यालय ज्ञापन सं. 45/57/97-P&PW(C) और दिनांक 19.11.2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/25/2008- P&PW-(D) में दिए गए अनुसार ही रहेंगी ।

3. ये आदेश दिनांक 01.07.2017 से प्रभावी होंगे ।

4. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग से संबंधित व्यक्तियों के संबंध में, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से उनके दिनांक18.07.2017 के यूओ सं.169-Staff(Rules)/A.R/01-2016 के तहत जारी किए जाते हैं ।

5. ये आदेश वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की सहमति से उनके दिनांक 11.07.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11-1/2016- IC के तहत जारी किए गए हैं ।

संजय वधावन

(संजय वधावन)
उप सचिव, भारत सरकार
फोन : 24655523

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग (मानक डाक सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि :

(1) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पॉकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली -110124 ।

(2) लेखा महानियंत्रक, महालेखा नियंत्रक भवन, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक ई, एविएशन कॉलोनी, आईएनए कॉलोनी, नई दिल्ली -110003।

(3) मुख्य नियंत्रक (पेंशन), केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, त्रिकूट -2, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110 066

(4) सभी पेंशन वितरक बैंकों के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (सीएमडी)

(5) वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए एनआईसी, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ।